भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1671

दिनांक 02 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: मछुआरों के लिए क्रेडिट कार्ड

1671. श्री टी॰एन॰ प्रथापनः

श्री बालक नाथः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का किसानों को उपलब्ध कराए गए किसान क्रेडिट कार्ड के समान ही देश में मछुआरों और पशुपालन से जुड़े लोगों को भी क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं और इससे क्या लाभ होने की संभावना है;

(ख) क्या इस कदम से मछुआरों और पशुपालन से जुड़े लोगों को संस्थागत ऋण की सुविधा मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई मानदंड तय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रस्तावित क्रेडिट कार्ड की नकद और क्रेडिट सीमा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कम ब्याज दर पर मछुआरों को इस तरह का ऋण देने के लिए तैयार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) तथा (ख) भारत सरकार ने मात्स्यिकी और पशुपालन किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) की सुविधा का विस्तार किया है, ताकि वे अपने कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें । के.सी.सी की यह सुविधा मात्स्यिकी तथा पशुपालन किसानों को पशुओं, कुक्कुट पक्षियों, मछलियों,झींगों तथा अन्य जलीय जन्तुओं के पालने के लिए और मछली पकड़ने के लिए ऋण संबंधी लघु आवधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगी ।

(ग) पशुपालन तथा मात्स्यिकी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना(के.सी.सी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों संबंधी विस्तृत मानदंड, **अनुबंध-1** में दिए गए हैं।

(घ) से (च) किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) की सुविधा के तहत, मौजूदा के.सी.सी. धारकों की क्रेडिट सीमा 3 लाख रुपए है, जिनमें पशुपालन तथा मात्स्यिकी से संबन्धित क्रियाकलाप समाहित हैं। पशुपालन तथा मात्स्यिकी हेतु पशुपालन तथा मात्स्यिकी संबंधी क्रियाकलापों हेतु कार्यशील पूंजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए के.सी.सी. धारक की क्रेडिट सीमा 2 लाख रुपए है। के.सी.सी. सुविधा के अंतर्गत, ऋण के संवितरण के समय पशुपालन तथा मात्स्यिकी किसानों के लिए सालाना 2% की ब्याज सहायता उपलब्ध है। अगर ऋण की अदायगी तुरंत की जाती है तो, शीघ्र अदायगी करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन के रूप में सालाना 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता है ।

******

<u>अनुबंध-1</u>

मछुआरों के लिए क्रेडिट कार्ड से संदर्भित, लोकसभा में 2 जुलाई 2019 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1671, भाग-ग के उत्तर में

पशुपालन तथा मात्स्यिकी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के लिए निम्न मानदंड हैं :

1. अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि

1.1 मछुआरे, मछली कृषक (व्यक्तिगत तथा समूह/भागीदार/फसल के हिस्सेदार/पट्टेदार किसान), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देनदारी समूह तथा महिला समूह ।

1.2 लाभार्थियों के पास मत्स्यपालन संबंधी किसी भी गतिविधि जैसे - तालाब, टैंक, खुले निकाय, रेसवे, हैचरी, पालन पोषण यूनिट का स्वामित्व होने चाहिए या पट्टे पर होनी चाहिए तथा उसके पास मछली पालन तथा मत्स्यन संबंधी गतिविधियों और किसी अन्य राज्य विशिष्ट मात्स्यिकी तथा संबद्ध क्रियाकलापों संबंधी लाइसेन्स होना चाहिए ।

2. समुद्री मात्स्यिकी

2.1 उपरोक्त 1.1 में सूचीबद्ध लाभार्थी, जिनके पास या पट्टे पर मत्स्यन जलयान, नाव, समुद्र तथा उसके मुहाने में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक मत्स्यन लाइसेंस/अनुमति, मछली पालन/खुले समुद्र तथा मुहाने पर जलकृषि जैसी गतिविधियां तथा राज्य विशिष्ट मात्स्यिकी तथा संबद्ध क्रियाकलापों से संबन्धित व्यवस्था हो ।

3. मुर्गीपालन तथा जुगाली करने वाले छोटे पशु

3.1 किसान, व्यक्तिगत अथवा संयुक्त कर्ज लेने वाले, मुर्गी पालने वाले किसान, संयुक्त देनदारी समूह या स्वयं सहायता समूह, जिनमें भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी/चिड़िया/खरगोश के पट्टेदार किसान, जिनके पास अपने/किराये/पट्टे पर पशुशालाएँ हैं ।

4. डेयरी

4.1 किसान तथा व्यक्तिगत अथवा संयुक्त कर्ज लेने वाले डेयरी किसान, संयुक्त देनदारी समूह या स्वयं सहायत समूह- जिनमें पट्टेदार किसान शामिल हैं, जिनके पास अपने/किराये/पट्टे पर पशुशालाएँ हैं ।

****